**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

**राजस्व वाद संख्या** : 415/2019 (192/2019)

**GCMS NO.** : **2019/00093**

**–: वादीगण :–** **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. रमजान पुत्र भंवरू खां
2. हुसैन पुत्र भंवरू खां
3. हाजी मोहम्मद पुत्र भंवरू खां

जातियान मोयला मुसलमान निवासीगण भुम्बलिया तह0 जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. घीसी पत्नि बाबुखां
2. अलारकी पत्नि रफीक खांन
3. मुमताज पत्नि हबीब खांन
   जातियान मोयला मुसलमान निवासीगण भुम्बलिया तह0 जैतारण जिला पाली।
4. हल्का पटवारी भुम्बलिया तहसील जैतारण जिला पाली।
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू:.25/09/2019**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 28/04/2023**

**वकील** मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा भुम्बलिया पटवार हल्का भुम्बलिया तहसील जैतारण जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 103/15 रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा की आई हुई है। जिसके पूर्व में रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के पिताजी भंवरू खांन जी पुत्र हकीम खान जी थे जिससे सम्बन्धित चौसाला जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 इस वादपत्र के साथ पेश है। कालान्तर में भंवरू खांन जी को अपने घर परिवार के जायज जरूरत हेतु रूपये की आवश्यकता होने से उन्होंने अपनी इस 05 बीघा भूमि में से 03 बीघा भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को दिनांक 19.07.2013 को बैचान कर दी थी व मौके पर 03 बीघा भूमि का कब्जा भी क्रेतागण को सौप दिया था। इस प्रकार से शेष 02 बीघा भूमि वादीगण के पिताजी के पास शेष रही थी। यानि विवादित भूमि में से 3/5 वें हिस्से की भूमि का बैचान करने के बाद शेष 2/5 वां हिस्सा वादीगण के पिताजी के पास शेष रहा था। नकल बैचाननामा की प्रमाणित प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। वादीगण के पिताजी भंवरू खान जी ह[illegible]ल 03 बीघा भूमि का ही बैचान प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को किया [illegible] लेकिन तत्कालीन हल्का पटवार द्वारा बैचान विलेख का स[illegible] ही नाम[illegible]करण संख्या 1298 के जरिये सम्पूर्ण 05 बीघा भूमि [illegible]तिवादी संख्या 01[illegible]03 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी जो कि गलत प्रविष्ट है साथ ही उक्त नामान्तरणकरण बिना बैचान की गई 02 बीघा भूमि को भी सामिल करते हुये तैयार कर ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा लिया। तन्दुपरान्त उसी आधार पर चौसाला जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में उक्त भूमि पूरी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत दर्ज कर दी। इस प्रकार से नामान्तरणकरण संख्या 1298 प्रतिवादी संख्या 04 तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा गलत तैयार कर स्वीकृत करवाया है जो वादीगण के हक अधिकारों के विरुद्ध शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है साथ ही इस नामान्तरणकरण को वादीगण रद्ध घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादीगण अपनी इस 02 बीघा भूमि का उपयोग–उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के रुप में कर रहे है। भंवरु खान जी का देहान्त दिनांक 07.06.2017 को हो चुका है तथा वादीगण के माता जी का देहान्त उनके पूर्व से ही दिनांक 30.01.2011 को हो चुका है। इस प्रकार से वादीगण ही भंवरु खांन जी के विधिक वारिसान है। जो उनके देहान्त उपरान्त इस शेष बची 2/5 वें हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये तब उक्त नामान्तरणकरण संख्या 1298 के बाबत् पता चला जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से रेकर्ड दुरुस्ती करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण पूर्व में टालम टोल करते रहे तत्पश्चात दिनांक 24.08.2019 को उक्त रेकर्ड दुरुस्त करवाने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार से उक्त कुटरचित व फर्जी नामान्तरणकरण तहसीलदार जी जैतारण के अधिकृत प्रतिनिधी प्रतिवादी संख्या 03 हल्का पटवारी द्वारा किया गया होने से एवं अब प्रतिवादीगण द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती करवाने से इन्कार कर दिया गया है। जबकि वादीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी खसरा नम्बर 103/15 मौजा भुम्बलिया का रकबा 05 बीघा मे से 02 बीघा अपने नाम दर्ज करवाने एवं इससे सम्बन्धित पूर्व में राजस्व दस्तावेजात में कि गई गलत प्रविष्टियो को दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत है। इसी गलत प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने को आमादा है। इस बाबत दिनांक 24.06.2019 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है। इस प्रकार से यदि प्रतिवादीगण वादीगण की इस हकसुदा व कब्जासुदा भूमि में दखलन्दाजी करते है तो वादीगण उसका विरोध करेगें जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लिसीटी अ०फ प्रोसिडिंग्स होगी साथ ही वादीगण को खर्चो से जैरबार होना पड़ेगा। जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी कदर सम्भव नही है। तब इन परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य विकल्प शेष नहीं रहने से यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 04 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। इस बाबत् धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 24.06.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के नाम से दुरुस्ती करने से इन्कार करने एवं वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भुम्बलिया तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
[illegible] (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, भूम्बलिया में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों के सामने वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. ग्राम भूम्बलिया की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 (प्रदर्श–1) खसरा नम्बर 103/15 रकबा 0.8094 हैक्टेयर के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपरोक्त वर्णित आराजी में खातेदार काश्तकार है। कालान्तर में जमाबन्दी संवत् 2065–2068 (प्रदर्श–2) एवं संवत् 2069–2072 (प्रदर्श–3) खसरा नम्बर 103/15 रकबा 05 बीघा भूमि में 'भंवरू पुत्र हकीम खां कौम मोयला' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श–4) में अंकित नामान्तरकरण के नोट से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान में तत्कालीन खातेदार भंवरू पुत्र हकीम खां के फौत होने पर जरिये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 19/07/2013 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज हुआ।
2. वादीगण ने साक्ष्य के रूप में प्रदर्श दस्तावेजात यथा विक्रय विलेख दिनांक 19/07/2013 (प्रदर्श–5ए), मृत्यु प्रमाण पत्र माता महफूल का (प्रदर्श–6) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पिता भंवरू खां का (प्रदर्श–7) का पेश किया।
3. वादीगण रमजान पुत्र भंवरू एवं हुसैन पुत्र भंवरू खां के साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार वादीगण ने यह कथन किया कि कालान्तर में भंवरू खान को अपने परिवार के जायज जरूरत हेतु उन्होनें 05 बीघा भूमि में से 03 बीघा भूमि को जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दिनांक 19/07/2013 को किया था। भंवरू खां के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1298 के जरिए सम्पूर्ण 05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की दी गई, जो गलत प्रविष्टि है। वादीगण ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि ''जरिए बैचाननामा खसरा संख्या 103/15 रकबा 05 बीघा में से केवल 03 बीघा का ही किया गया था जबकि फौतेदगी म्यूटेशन में सम्पूर्ण भूमि ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दि गई। हम वादीगण ही भंवरू खां के विधिक वारिसान है।'' अन्य शहादत में गवाह गुमानदान पुत्र करणीदान जाति राव निवासी भूम्बलिया एवं गवाह ढगलाराम पुत्र बक्साराम जाति दमामी निवासी भूम्बलिया साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02, 03 प्रस्तुत किया। गवाहों ने अपने शपथ–पत्र में कथन किये कि ''हम वादीगण रमजान खां वगैरह एवं प्रतिवादीगण घीसी वगैरह को भलिभांति जानते हैं। वादीगण के पिता भंवरू खां ने अपनी इस 05 बीघा भूमि में से 03 बीघा भूमि को जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 1 से 3 घीसी वगैरह को दिनांक 19/07/2013 को बैचान कर दी थी।''
4. वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण पंजिका की प्रति एवं बैचाननामा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि भंवरू पुत्र हकीम खाँ द्वारा प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फालना)
पैचान (पाली)

से 3 के पक्ष में बैचाननामा निष्पादित किया गया जिसमें खाता संख्या 185 खसरा संख्या 103/15 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से 03 बीघा भूमि का बैचान किया गया था। यह बैचाननामा उपपंजियन अधिकारी, जैतारण के कार्यालय में दिनांक 19/07/2013 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 194 में पृष्ठ संख्या 160 क्रम संख्या 2013005200 पर पंजिबद्ध किया गया। उक्त बैचाननामा का उल्लेख फौतेदगी म्यूटेशन में भी अंकित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इसी पंजिबद्ध विक्रय विलेख अनुसार भंवरू खां फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण इसी अनुसार भरा जाना चाहिए था।

इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, भूम्बलिया में मजमा–ए–आम वकील वादी की बहस के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 103/15 रकबा 05 बीघा भूमि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैचाननामा की प्रतिलिपि अनुसार वादीगण को 2/5 हिस्से एवं शेष 3/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

**–:: *आदेश* ::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण में खाता खसरा नम्बर 103/15 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में 2/5 हिस्से में** वादीगण एवं **शेष 3/5 हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3** के नाम की प्रविष्टि को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/04/2023 को खरे–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:40 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

**(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

**बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

| **–: वादीगण :–** | **बनाम** | **–: प्रतिवादीगण :–** |
|---|---|---|
| 1. रमजान पुत्र भंवरू खां<br>2. हुसैन पुत्र भंवरू खां<br>3. हाजी मोहम्मद पुत्र भंवरू खां<br>जातियान मोयला मुसलमान<br>निवासीगण भुम्बलिया तह0 जैतारण<br>जिला पाली। | | 1. घीसी पत्नि बाबुखां<br>2. अलारकी पत्नि रफीक खांन<br>3. मुमताज पत्नि हबीब खांन<br>जातियान मोयला मुसलमान<br>निवासीगण भुम्बलिया तह0<br>जैतारण जिला पाली।<br>4. हल्का पटवारी भुम्बलिया तहसील<br>जैतारण जिला पाली।<br>5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली। |

मु0न0 :रा0वा0स0– 415/2019 (192/2019)

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण में खाता खसरा नम्बर 103/15 रकबा 05 बीघा **किस्म** बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में 2/5 हिस्से में** वादीगण एवं **शेष 3/5 हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3** के नाम की प्रविष्टि को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/04/2023** को जारी किया गया।

**मोहर**

सहायक कलक्टर
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

| मुद्धई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 5.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2.00 | स्टाम्प अर्जी | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | [illegible] | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 4.00 | [illegible]मीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत [illegible]राय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | [illegible] | [illegible] | 0.00 |
| मिजानः– | [illegible] | [illegible] | 0.00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन [illegible] चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:50:40 IST
Reason: SelfAttested